बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ०सं० :–2/अ0प्र0–1–51/2020 706 /पटना, दिनांक :– 7-6-21

श्री संजीव कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, गया को कार्य प्रमंडल, गया अन्तर्गत पदस्थापन अवधि के टिकारी बेलागंज मार्ग पर पंचदेवता के पास मोरहर नदी पर पुल निर्माण का कार्य वर्षों से यथावत रहने के बावजूद एकरारनामा की शर्तों के अनुरूप कार्रवाई नहीं किये जाने, पुल निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य की मापियों की समुचित जॉच नहीं किये जाने एवं जॉच दल को आवश्यक सहयोग नहीं करने के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित कर अधिसूचना संख्या–2445–सह–पठित ज्ञापांक–2446 दिनांक 18.12.2020 के माध्यम से वृहत दंड (कालमान वेतन में दो निम्नतर प्रक्रम पर अवनति) संसूचित की गयी।

2. श्री कुमार द्वारा उक्त दंडादेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 23.01.2021 दायर किया गया है, जिसमें निम्नांकित तथ्यों का उल्लेख किया गया है:–

(i) विभाग द्वारा उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को संभावनाओं के आधार पर प्रमाणित मानते हुए उन्हें दोषी करार दिया गया है, जबकि उनके द्वारा नियमों के आलोक में प्रश्नगत् योजना में कार्य किया गया एवं नियमसंगत बचाव बयान विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रश्नगत् मामले में उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के रूप में विभाग के मुख्य तकनीकी विशेषज्ञ यथा अभियंता प्रमुख नामित थे। संचालन पदाधिकारी द्वारा स्थापित नियमों के आलोक में मामले की गहन रूप से तकनीकी पहलुओं पर जॉच करने के उपरांत जॉच प्रतिवेदन विभाग को उनके पत्रांक 1245 अनु0 दिनांक 30.01.2018 द्वारा समर्पित किया गया था, जिसमें उनके विरूद्ध गठित तीनों आरोपों को अप्रमाणित पाया गया था।

(ii) विभाग द्वारा जिन दो आरोपों पर संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त की गयी, उसमें असहमति में निहित विन्दु मात्र संभावना आधारित है न कि नियम अथवा साक्ष्य आधारित। असहमति के बिन्दु साक्ष्य आधारित नहीं होना, यह एक प्रकार से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

(iii) विभाग द्वारा व्यक्त किये गये असहमति के प्रथम बिन्दु यथा पुल निर्माण कार्य वर्षों तक यथावत रहने के बावजूद दशमें विपत्र का भुगतान संवेदक को मेरे द्वारा करने परंतु संवेदक के विरूद्ध एकरारनामा के अनुरूप कार्रवाई नहीं करने के संदर्भ में कहना है कि वे कार्य प्रमंडल, गया अन्तर्गत दिनांक 16.02.2010 से 09.07.2013 तक पदस्थापित थे। आलोच्य पुल का निर्माण कार्य की अवधि दिसम्बर 2005 से नवम्बर 2007 तक थी एवं नवम् चालू विपत्र का भुगतान दिनांक 24.01.2008 को किया जा चुका था। इस प्रकार उनके पदस्थापन के पूर्व ही

कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि के बाद भी पुल निर्माण पूर्ण करने के उद्देश्य से नवम् चालू विपत्र का भुगतान किया गया था। प्रश्नगत् पुल का निर्माण कार्य कराना विभाग की प्राथमिकता थी। इसी आलोक में उनके द्वारा संबंधित संवेदक को कार्य में प्रगति लाने हेतु स्मारित किया गया था। इसी संदर्भ में पूल का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु तत्कालीन माननीय विभागीय मंत्री द्वारा दिनांक 06.02.2012 को विभागीय सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों को निदेश दिया गया था। इसके उपरांत तत्कालीन विभागीय सचिव द्वारा भी दिनांक 04.07.2012 को बैठक कर पुल निर्माण को पूर्ण करने का निदेश दिया गया था। उक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होगा कि पूल का निर्माण कार्य पूर्ण कराना विभाग का सर्वोच्च प्राथमिकता थी। इसी आलोक में उनके समक्ष प्रस्तुत दशम् चालू विपत्र को नियमों के आलोक में निर्धारित कटौती करते भुगतान का आदेश दिया गया था। जहाँ तक एकरारनामा के अनुसार संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई नहीं करने का प्रश्न है, इस संदर्भ में संवेदक के द्वारा मामले को माननीय न्यायालय के समक्ष ले जाया गया था। इस आलोक में कोई भी कार्रवाई करना विधिक मामला बन सकता था। प्रश्नगत् मामले में संवेदक द्वारा भुगतान के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No.-8843/2009 दायर किया गया था, जिसमें दिनांक 31.07.2009 को पारित आदेश के आलोक में संवेदक के अभ्यावेदन को अधीक्षण अभियंता, गया द्वारा अस्वीकृत करते हुए एक सकारण आदेश पारित किया गया। उक्त सकारण आदेश को संवेदक द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No.-3414/2011 द्वारा चुनौती दी गयी थी। इस प्रकार मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहने के दरम्यान उनके विरूद्ध यह आरोप लगाना कि एकरारनामा के तहत संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई नहीं किया गया, पूर्णतः गलत है।

(iv) असहमति के द्वितीय बिन्दु यथा पुल निर्माण कार्य की मापियों की समुचित जाँच नहीं करने के संदर्भ में कहना है कि उनके द्वारा कार्यपालक अभियंता के स्तर पर अपेक्षित नियमों के आलोक में कार्य किया गया है, जबकि दंडादेश में इस बिन्दु के संदर्भ में संभावनाओं के आधार पर उनके विरूद्ध आरोप को प्रमाणित बताया गया है। इस आलोक में विपत्र की जाँच करने संबंधी नियम मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के पत्रांक 462 दिनांक 30.03.1982 की कंडिक–ग (विविध) के उप कंडिका–10 एवं लोक निर्माण विभागीय संहिता में निर्धारित है, जिसके तहत ही नियमानुकूल जाँच उनके द्वारा प्रस्तुत विपत्र में किया गया है। निर्गत दंडादेश की कंडिका–7 में उनके द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान के अस्वीकृति का आधार साक्ष्य समर्थित नहीं है। इसमें भी मात्र संभावना के अस्वीकृति का आधार साक्ष्य समर्थित नहीं है। इसमें भी मात्र संभावना के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है, जो नियमसंगत एवं विधिसंगत नहीं है। उनके द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान पर किसी तकनीकी विशेषज्ञ की

राय ली जानी चाहिए थी अथवा उनसे मंतव्य प्राप्त किया जाना था, जो दंडादेश के अवलोकन से प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं किया गया है।

3. श्री संजीव कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 23.01.2021 में वर्णित तथ्यों की समीक्षा से स्पष्ट होगा कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली में विहित प्रक्रिया यथा प्रश्नगत मामले में विहित प्रपत्र में गठित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय संचालित कर, द्वितीय बयाव बयान प्राप्त कर समीक्षोपरान्त दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर प्रश्नगत अधिसूचना द्वारा दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया है। निष्कर्ष अभिलेख पर रक्षित साक्ष्य समर्पित है तथा अधिरोपित दण्ड आरोप की गंम्भीरता की दृष्टिकोण से उचित है।

श्री कुमार द्वारा अपने पुनर्विलोकन अर्जी में अपने द्वितीय बचाव बयान में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए दो अन्य बिन्दु उठाये गये हैं। प्रथम उनके द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान में तर्क को संभावना के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है तथा द्वितीय द्वितीय बचाव बयान पर किसी तकनीकी विशेषज्ञ की राय/मंतव्य प्राप्त किया जाना चाहिए था।

4. उल्लेखनीय है कि द्वितीय बचाव बयान में प्रस्तुत तथ्यों की समीक्षा पूर्व में की जा चुकी है तथा समीक्षोपरान्त ही दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। जहाँ तक द्वितीय बचाव बयान को संभावना के आधार पर अस्वीकृत करने का प्रश्न है, उक्त को तर्कसंगत आधार पर अस्वीकृत किया गया है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री संजीव कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 23.01.2021 को अस्वीकृत किया जाता है।

13.05.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2*/अ0प्र0–1–51/2020 706 /पटना, दिनांक :– 7-6-21

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

13.05.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–51/2020 706 /पटना, दिनांक :– 7-6-21

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.05.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–51/2020 706 /पटना, दिनांक :– 7-6-21

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री संजीव कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, पत्राचार का पताः– वी0 मुखोपाध्याय, कॉलोनी, रामपुर रोड, पटना–800006 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.05.21

उप सचिव